

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(11)खा.वि./आवंटन/सा.ऑ./2017

जयपुर, दिनांक: 27.06.2018

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 28 के तहत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाये, के द्वारा उचित मूल्य दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समय-समय पर सामाजिक संपरीक्षा करने या कराने के संबंध में विभाग द्वारा तैयार किये गये प्रारूप नियमों के संबंध में आम-जन से सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 27.06.2018 से विभागीय वेब पोर्टल [www.food.raj.nic.in](http://www.food.raj.nic.in) पर प्रकाशित है।

उक्त प्रकाशित नियमों के संबंध में आप अपने सुझाव/आपत्तियां विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध लिंक [http://food.raj.nic.in/Rules\\_Suggestions.aspx](http://food.raj.nic.in/Rules_Suggestions.aspx) के माध्यम से संलग्न सुझाव/आपत्ति फार्म में अथवा किसी भी कार्य दिवस में खाद्य भवन, कमरा नं. 7026, शासन सचिवालय, जयपुर में व्यक्तिशः उपस्थित होकर दिनांक 15.07.2018 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

  
(अंजू राजपाल)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव